बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०स०–स्था०1/आ02–28/16 196 पटना, दिनांकः 01.06.18

कार्यालय आदेश

श्री उदय कुमार, तत्कालीन प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, राजगीर–सह–तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी, कतरीसराय प्रखड, नालंदा स्थानांतरित रतनीफरीदपुर प्रखंड, जहानाबाद संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2013–14 में धान अधिप्राप्ति में किये गये गबन के लिए जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–925 दिनांक–09.08.2016 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–272 सहपठित ज्ञापांक–2096 दिनांक–20.10.2016 द्वारा श्री उदय कुमार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारभं की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, नालंदा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालंदा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री उदय कुमार के दिनांक–31.03.2017 को वार्धक्य सेवानिवृति के कारण निदेशालय के का०आ०सं०–214 सहपठित ज्ञापांक–1264 दिनांक–15.06.2017 के द्वारा इनके विरूद्ध चल रहे विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में परिवर्तित किया गया।

2 अपर समाहर्त्ता सह–संचालन पदाधिकारी, नालंदा द्वारा पत्रांक–2316/रा० दिनांक–18.08. 2017 के माध्यम से श्री उदय कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री उदय कुमार के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त निष्कर्ष दिया है कि " जिला प्रबंधक SFC द्वारा श्री उदय कुमार, प्रखंड साख्यिकी पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, कतरीसराय से पूछे गये स्पष्टीकरण पत्र सं०–4526 दिनांक–29.09.2014 एवं पत्र संख्या–2248 दिनांक–08 07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस मामले का समाधान का प्रयास जिला प्रबंधक, SFC द्वारा इन दोनों पक्षों के बीच किया गया है, लेकिन 682.92 क्विंटल धान के क्रय एवं मिलर को आपूर्त्ति किये जाने के संबधं में कोई जिक्र नहीं किया गया है। केवल धान के समायोजन का प्रयास कागज पर ही किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि 682.92 क्विंटल धान का गबन किया गया है । इसके लिए न केवल क्रय केन्द्र प्रभारी ही जिम्मेदार है बल्कि कृष्णा राईस मिल, सैदी, कतरीसराय एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं।

03003 स्था0 1 (23 मार्च 2018) उदय कुमार

श्री उदय कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक , राजगीर –सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, कतरीसराय के विरूद्ध गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।"

3 विभागीय कार्यवाही मे संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये हैं के प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए निदेशालय के पत्रांक–2125 दिनांक–26.09.2017 द्वारा श्री उदय कुमार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के तहत उस पर अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

4. श्री कुमार द्वारा दिनांक–08.11.2017 को अपना अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित अभ्यावेदन में उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं को अकित किया गया है :–

वे बिलकुल निर्दोष है एवं उनपर किसी प्रकार का गबन का मामला बनता ही नहीं है। क्योंकि ए०जी०एम० के रूप मे उनका कार्य धान अधिप्राप्ति के पश्चात् निर्गमादेश के आलोक में निर्देशित मिलर को धान आपूर्त्ति करने के पश्चात् सभी संबंधित पंजी एव निर्गमादेश के प्रति को एस०एफ०सी० कार्यालय मे जमा करना था।

इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी के निदेशानुसार जो सजा उनको मिल रही है वो सजा का हकदार जिला प्रबंधक एवं मिलर भी हैं।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में वर्णित उक्त तथ्यों को उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को भी दिया गया था जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन में वर्णित 682.92 क्विंटल धान के गबन के संबंध में श्री उदय कुमार द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो यह प्रमाणित करता है कि उक्त गबन में इनकी भी संलिप्तता है । अतएव श्री उदय कुमार द्वारा दिनांक 24.10.2017 को समर्पित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।

6 इस प्रकार श्री उदय कुमार तत्कालीन प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजगीर–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, कतरीसराय, नालन्दा सम्प्रति सेवा निवृत का, कुल 682.92 क्विंटल धान जिसका मूल्य 1134089.92 रूपये (ग्यारह लाख चौंतीस हजार नवासी रूपये बानवे पैसे) होता है, के गबन में संलिप्तता प्रमाणित होती है।

7 उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री उदय कुमार पर पेंशन से 50 (पचास) % की कटौती पूरे जीवनकाल के लिए, का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

8. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री उदय कुमार, तत्कालीन प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजगीर–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, कतरीसराय, नालंदा संप्रति सेवानिवृत पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) में किये गये प्रावधान के तहत पेंशन से 50 (पचास) % की कटौती पूरे जीवनकाल के लिए, का दड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

9. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक .– स्था०1/आ०2–28/16 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

निदेशक

ज्ञपांकः– स्था०1/आ०2–28/16 1173 पटना, दिनांकः– 01.06.18

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा को सूचनार्थ ।
3. जिला पदाधिकारी जहानाबाद ।
4 जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/जहानाबाद।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनीफरीदपुर प्रखंड, जहानाबाद।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8 श्री उदय कुमार, सेवानिवृत प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, रतनीपरीदपुर प्रखंड, जहानाबाद

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5

निदेशक

03003 स्था० 1 (23 मार्च 2018) उदय कुमार.